107

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–छतरपुर निग 2620-I-16

1– नन्दू पुत्र स्व0 श्री दरयाब उर्फ दरूआ कुर्मी,
2– दुर्गाप्रसाद पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीप्रसाद कुर्मी
निवासीगण– ग्राम पुर, तहसील महाराजपुर,
जिला छतरपुर (म.प्र.)

––आवेदकगण

विरूद्ध

1– हरगोविन्द कुर्मी पुत्र स्व0 श्री रामलाल कुर्मी,
2– काशीराम कुर्मी पुत्र स्व0 श्री रामलाल कुर्मी,
3– धनश्याम कुर्मी पुत्र श्री पारीक्षत कुर्मी,
निवासीगण– ग्राम पुर, तहसील महाराजपुर,
जिला छतरपुर (म.प्र.)
4– श्रीमती गौरीबाई पुत्री पारीक्षत कुर्मी,
निवासीगण– ग्राम रामपुरा, तहसील कुलपहाड
जिला मोहबा (उ.प्र.)
5– पुनिया पुत्री स्व. हरयाव उर्फ दरूआ कुर्मी
पत्नी श्री मथुराप्रसाद कुर्मी,
निवासी ग्राम सुकवा, तहसील नौगांव,
जिला छतरपुर (म.प्र.)
6– कोसिया पुत्र चिरौजी पत्नी लल्लू पटेल,
ग्राम गढी, तहसील महाराजपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.)
7– बन्दरगढवाली पत्नी स्व. लक्ष्मीप्रसाद कुर्मी,
ग्राम पुर, तहसील महाराजपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.)
8– चुखरिया वैवा श्री भजनलाल मुर्मी,
ग्राम रामपुरा तहसील कुलपहाड, जिला मोहबा (उ.प्र.)

–– अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार, तहसील महाराजपुर, जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 15/अ-6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महाराजपुर, जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण में कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया है, वह नितान्त अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यह कि अधीनस्थ न्यायालय, तहसीलदार महाराजपुर, जिला छतरपुर द्वारा आवेदकगण को सुनवाई विधिवत सूचना एवं सुनवाई तथा साक्ष्य का विधिवत अवसर प्रदान किये बिना ही जो आदेश पारित किया गया है, वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

XXXIX(a)-BR (II)-11 राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

प्रकरण क्रमांक 2620-एक/2016 निगरानी जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हस्ता.
5-8-16	यह निगरानी तहसीलदार महाराजपुर जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 15 अ-6/ 15-16 में पारित आदेश दिनॉक 30-7-2016 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2/ तहसीलदार महाराजपुर के अंतरिम आदेश दिनॉक 30-7-2016 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने आवेदकगण का आपत्ति आवेदन कि मान.उच्च न्यायालय में वाद लम्बित रहने से नामान्तरण कार्यवाही रोक देना चाहिये, अमान्य किया है इसी प्रकार तहसीलदार के समक्ष रही आवेदक क्रमांक-2 अर्थात महिला पुनिया वाई उसके विरूद्व हुई एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त किये जाने हेतु संहिता की धारा 35(3) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन भी इसी अंतरिम आदेश से निरस्त किया है । प्रकरण में विचार योग्य है कि क्या मान.उच्च न्यायालय में वाद विचारित भूमि के सम्बन्ध में प्रचलित मामले के लम्बित रहते नामान्तरण कार्यवाही रोकी जाना चाहिये अथवा नहीं? तहसीलदार के समक्ष विचाराधीन मामला व्यवहार न्यायालय की डिक्री मुताविक अभिलेख में नामान्तरण के अमल का है। नामान्तरण कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की कार्यवाही है क्योंकि नामान्तरण कार्यवाही से किसी पक्षकार के स्वत्व का विनिश्चय नहीं होता है अपितु यह कार्यवाही शासकीय अभिलेख के सुधार की सहज प्रक्रिया है एंव माननीय उच्च न्यायालय से वादोक्त भूमि के सम्बन्ध में जो भी आदेश होंगे, राजस्व न्यायालय पर बाध्य कर होकर तद्नुसार शासकीय अभिलेख में अमल किया जावेगा। इस सम्बन्ध में तहसीलदार व्दारा अंतरिम आदेश दिनांक 30-7-2016 में निकाला गया निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है। जहॉ तक महिला पुनियावाई के 35(3) के आवेदन पर तहसीलदार व्दारा लिये गये निर्णय का प्रश्न है ? महिला पुनियावाई की ओर से विचाराधीन निगरानी प्रस्तुत न होने से इस बिन्दु पर निर्णय आवश्यक नहीं है। अतएव निगरानी सारहीन पाये जाने से इसी-स्तर पर निरस्त की जाती है। सदस्य	